नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक......................
057986

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 2500 दिनांक 14/8/17

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या MBD-820 पत्रावली संख्या MBD-10760 दिनांक 14/08/2017

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान एच0आई0जी0 32 / 16, पुरानी आवास विकास कालोनी, रामपुर उ0प्र0। ....को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 305/2002-03........दिनांक 12/07/2002 को दिनांक 12/07/2017...... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100/-........................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 14/08/2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सोड फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(कं0 / टी0 / आफसेट)।

संशोधित स्मृति पत्र

संस्था का नाम : उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान

संस्था का पता : एम0आई0जी0, 32/16 पूर्वी आवास विकास कालोनी, रामपुर (उ0प्र0)

कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश

1. शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों की स्थापना कर देश का चहुंमुखी विकास करना।
2. जनता को शिक्षा व स्वास्थ्य, जनसंख्या नियन्त्रण, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा बचाव करने हेतु स्वास्थ्य शिविरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, रैलियों, कार्यशालाओं, सेमीनारों, आदि का आयोजन करना तथा औषधि चिकित्सालयों की स्थापना आदि करना।
3. विधवा, परित्यक्ता महिला, युवा महिला वर्ग के सामाजिक सुधार व स्वावलम्बी बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई, पेचवर्क, कारचोब कढ़ाई, मशीन कढ़ाई के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास तथा स्वरोजगार दिलाने हेतु सरकारी, अर्ध सरकारी व राष्ट्रीय व सामाजिक स्तर को सुधारने हेतु जनता को जागरूक करना।
4. क्षेत्रों में बाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर समेकित बाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना तथा बाल श्रमिकों को मुक्ति प्रदान करवाकर प्रशिक्षण व पोषण की व्यवस्था करना।
5. बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यकों के नवयुवकों व युवतियों, तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, रेडियो एवं टी0वी0 प्रशिक्षण केन्द्र, मोटर मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र, छापा कला प्रशिक्षण केन्द्र, काष्ठकला प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र, दरी मेकिंग सेन्टर, डीजल पम्प सेट मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र, तथा जूता बाइन्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा फोटो ग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र तथा उच्च तकनीकि शिक्षा के अन्तर्गत

Abhilash

RRyadav

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रो आदि की स्थापना कर निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके क्षेत्र की युवा जनता व महिला वर्ग व निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाना।

6. पिछड़े वर्ग, मजदूर, किसान, कारीगर, अनु0 जाति व पिछड़ी जाति के लोगों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व सामान्य जाति के क्षेत्रीय लोगों के सामाजिक शैक्षिक स्तर को सुधार कर आत्मनिर्भर बनाना।

7. विकलांगो के विकास हेतु निःशुल्क शिक्षा व प्रशिक्षण व चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना, तथा विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण करना व उनके सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क छात्रावासों की स्थापना कर छात्रावास सुविधा प्रदान कर उनको पुर्नवासित करना।

8. क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु राज्य सरकार ग्रामोद्योग बोर्ड, केन्द्र सरकार/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड व अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना कर जनता को रोजगार प्रदान करना।

9. लोगों को मनोरंजन, भारतीय संस्कृति व्यायाम व खेलकूद के प्रति प्रोत्साहत करने हेतु व्यायाम शालाओं की स्थापना करना, जनता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

10. कृषि सुधार, राष्ट्रीय एकता उन्नतशील कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन तथा कुक्कुट उद्योग की स्थापना कर जनता को निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

11. क्षेत्रीय समस्याओं का अध्ययन करके उनके निवारण की व्यवस्था करना, असहाय, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओ व समाज से परित्यक्त महिलाओं के उत्थान हेतु प्रयास करना।

12. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी शाखायें खोल सकती है।

13. मद्य निषेध कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, तथा समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना, व एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम हेतु निःशुल्क प्रचार-प्रसार मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निःशुल्क चिकित्सा द्वारा उपचार करना।

14. संस्था जनहित में उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी व अर्धसरकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, सेन्ट्रल बैंक, विकलांग कल्याण निदेशालय, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से सहायता प्राप्त करना।

15. अल्पसंख्यक समुदाय (विशेषकर मुस्लिम) के विकास व उनके शैक्षिक स्तर से ऊँचा उठाने हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और छात्राओं हेतु विद्यालयों में छात्रावासों की स्थापना कर उन्हें शिक्षण प्रदान करना।

16. संस्था शिक्षा के प्रचार-प्रसार उन्नयन एवं प्रबन्धन के कार्य करायेगी तथा उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के लिए विद्यालय/संस्थानों की स्थापना कर उनका संचालन एवं प्रबन्धन कर लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालयों का निर्माण एवं संचालन एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु उससे जुड़े संस्थानों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य करेगी।

17. अन्य वह सब कार्य करना जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हों।

Utkarsh

Abhilash

RRyadav

...ाम्य विकास संस्थान एल0आई0जी0. 32/16 पुरानी आवास विकास कालोनी रामपुर के प्रबन्धकारिणी समिति के नाम, ... व्यवसाय जिनको संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	उत्कर्ष सिंह	श्री आर0आर0 पी0 सिंह	अध्यक्ष	कृषि	एल0आई0जी0. 32/16 पुरानी आवास विकास कालोनी रामपुर
2.	रामरक्षपाल सिंह	श्री के0 एस0 यादव	उपाध्यक्ष	नौकरी	- तदैव -
3.	श्रीमती वीना यादव	श्री राम रक्षपाल सिंह	सचिव/ प्रबन्धक	नौकरी	- तदैव -
4.	श्रीमती संगीता यादव	श्री ऋषिपाल सिंह	उपसचिव	गृहणी	ग्राम डूगरपुर, पो0 मानपुर जिला मुरादाबाद।
5.	अभिलाष	श्री राम रक्षपाल सिंह	कोषाध्यक्ष	कृषि	- तदैव -
6.	वीरभान सिंह	श्री के0 एस0 यादव	सदस्य	कृषि	ग्राम डूगरपुर, पो0 मानपुर जिला मुरादाबाद।
7.	सुनील यादव	श्री भगवन्त सिंह	सदस्य	कृषि	नफटिया, जिला-बरेली

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एक संस्था बनाकर उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

दिनांक -

1. Utkarsh 2. [illegible] 3. Abhilash 4. RRyadav

5. संगीता 6. वीरभान 7. सुनील

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

संशोधित नियमावली

1.	संस्था का नाम	उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान
2.	संस्था का पता	एम0आई0जी0, 32/16 पुरानी आवास विकास कालोनी, रामपुर (उ0प्र0)
3.	कार्यक्षेत्र	समस्त उत्तर प्रदेश
4.	संस्था की सदस्यता	कोई भी व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र में रहता हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो संस्था के हित में तथा उद्देश्यो में निष्ठा रखता हो इस संस्था का सदस्य बन सकता है।

सदस्यों के निम्न वर्ग होंगे :-

अ. आजीवन सदस्य — जिन सदस्यो ने संस्था के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किये हो तथा 10,000/- रूपये संस्था के खाते में जमा किये हो, आजीवन सदस्य बन सकता है।

ब. साधारण सदस्य — जो व्यक्ति संस्था को 501/- रूपये दान स्वरूप देंगे और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो वे सचिव को आवेदन करेंगे एवं उनका पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत होने पर वे साधारण सदस्य बन सकते हैं।

स. सम्मानित सदस्य — जो व्यक्ति शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से संस्था की सेवा अवैतनिक रूप से करेंगे, वे सम्मानित सदस्य बन सकते है। मताधिकार होगा। सदस्यता शुल्क 100/- रूपये देय होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :-
1. मृत्यु हो जाने पर
2. सदस्यता से त्याग पत्र देने पर एवं उसके प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत हो जाने पर।
3. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने पर।
4. संस्था की सदस्यता शुल्क न दिये जाने पर, व मादक वस्तुओं के सेवन करने पर।
5. आचरण भ्रष्ट होने पर तथा संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर।
6. संस्था की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होने पर।

6. संस्था के अंग :-
1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा :-
अ. साधारण सभा में सभी आजीवन/साधारण सदस्य होंगे।
ब. सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
स. संस्था की साधारण सभा की बैठक निम्न प्रकार होगी।

[illegible] सामान्य बैठक :- संस्था की सामान्य वार्षिक बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

[illegible] विशेष बैठक :- आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

[illegible] सूचना अवधि :- सामान्य एवं वार्षिक बैठक की सूचना साधारण सभा के सदस्यों को एक माह पूर्व तथा विशेष की सूचना [illegible] दिन पूर्व देनी होगी।

[illegible] गणपूर्ति :- सामान्य वार्षिक बैठक के लिए दो तिहाई तथा विशेष बैठक के लिए तीन चौथाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

साधारण सभा के अधिकार

1. संस्था के कार्यों को चलाने के लिये संस्था प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव प्रति 5 वर्ष के लिए करना।
2. संस्था की सामान्य वार्षिक बैठक तथा विशेष बैठक का आयोजन करना।
3. संस्था की [illegible] नीति निर्धारित करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किये गये विगत वर्षों के कार्यों की समीक्षा करना।
5. अन्य सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हो।

7. प्रबन्धकारिणी समिति :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, साधारण सभा प्रति पांच वर्ष के लिए करेगी, जिसमें कम से कम 7 एवं अधिकतम 11 पदाधिकारी/सदस्य होंगे।

1.	अध्यक्ष	01
2.	उपाध्यक्ष	01
3.	सचिव/प्रबन्धक	01
4.	कोषाध्यक्ष	01
5.	सदस्यगण	02
	योग	07

प्रबन्ध समिति की बैठक

1. प्रबन्धकारिणी की बैठक 03 माह में एक बार अवश्य होगी तथा उसका कोरम सूचना 10 दिन पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी।
2. बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में होगी। कोरम पूरा न होने पर स्थगित बैठक का दूसरी बैठक में कोरम की आवश्यकता होगी।

...कारिणी समिति के अधिकार ... कर्तव्य

1. वार्षिक आय व्यय बजट तैयार करना तथा साधारण सभा की बैठक में पेश करना।
2. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उप समितियों का गठन करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा शेष अवधि के लिये उसके बहुमत द्वारा होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।
4. संस्था को सुचारू रूप से चलाना तथा संस्था के हितार्थ कार्य करना और सचिव द्वारा बजट पर चर्चा करके प्रस्तुत हिसाब को स्वीकार करना।
5. संस्था सचिव द्वारा किये गये कार्यों को स्वीकार करना तथा संस्था के कर्मचारियों को घटाना या बढ़ाने का प्रस्ताव साधारण सभा से पारित कराना।

प्रबन्धकारिणी समिति को भंग किया जाना — यदि प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करती है तो साधारण सभा अपनी विशेष बैठक में स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर सकती है तथा नवीन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन पूर्ण काल के लिए कर सकती है।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :-
   1. संस्था की साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक को सचिव के माध्यम से आयोजित करना तथा उसकी अध्यक्षता करना।
   2. किसी विषय पर बराबर मत आने पर अथवा विवादास्पद मामले का निस्तारण करने के लिए वीटो पावर का उपयोग करना।
   3. सचिव के सहयोग से संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना एवं उसको सुरक्षित रखना।
   4. आवश्यकता पड़ने पर साधारण तथा सचिवकारिणी समिति की बैठक करना।
   5. संस्था के हिसाब-किताब सम्बन्धी कागजात तैयार करना व आन्तरिक हिसाब-किताब की व्यवस्था व जांच करना। हिसाब के एवं कर्तव्य रख-रखाव की व्यवस्था एव जांच करना।
2. उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना।
3. सचिव/प्रबन्धक :-
   1. सचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा तथा समस्त कार्यक्रमों का संचालन करने की जिम्मेदारी सचिव की होगी।
   2. अध्यक्ष की स्वीकृति से प्रबन्धकारिणी समिति तथा साधारण सभा की बैठक बुलाना तथा कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :- संस्था के वित्तीय वर्ष आय-व्यय की जांच चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायी जायेगी। परन्तु उसकी संस्था का कार्य नहीं करेगा।

12. संस्था के अभिलेख :- संस्था के मुख्यतः निम्नलिखित अभिलेख होंगे -

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक बुक
4. कैश बुक
5. निरीक्षण एवं सुझाव पुस्तिका आदि

13. संस्था का विघटन :- संस्था का यदि किसी कारणवश विघटन होता है तो विघटन सम्पत्ति का निस्तारण आदि की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगी।

14. वित्तीय वर्ष :- संस्था का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

15. संस्था की कानूनी कार्यवाही व मुकदमें :- संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के सचिव को होगा। संस्था से सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद का न्यायालय क्षेत्राधिकार केवल जिला रामपुर मे ही होगा।

16. बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की सीमा :- बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की सीमा संस्था को 20 लाख तक होगी।

17. संस्था को प्राप्त धन की सुरक्षा एवं वापसी की जिम्मेदारी :- संस्था जो भी ऋण आदि खादी ग्रामोद्योग/आयोग तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से लेगी तो उसकी सुरक्षा एवं अदायगी की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की पृथक-पृथक सामूहिक रूप से होगी। यह जिम्मेदारी उनकी सदस्यता/पदों से हट जाने पर भी रहेगी।

विशेष :- यदि किसी कारणवश संस्था में आपसी मतभेद होता है तब संस्था के सचिव का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

18. विनियमित :-

क. महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्ध तन्त्र का पदेन सदस्य होगा।

ख. प्रबन्ध तन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक है जिसमें प्राचार्य भी है।

ग. अध्यापक (खण्ड-ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं।

ग-2- प्रबन्ध तन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षेत्तर कर्मचारियों में से होगा। जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

घ. खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध तन्त्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्न्तगत एक दूसरे के नातेदार न होंगे।

ङ. उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

च. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्ध तन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्ध तन्त्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

छ. महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल अभिलेखों को ऐसी सोसायटीज न्यास बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो रखने के लिए तैयार है।

ज. परिनियम में निर्दिष्ट विन्यास निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

झ. संस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली में 11.05 का समावेश कर उसका अनुपालन करेगी।

दिनांक -

सत्य प्रतिलिपि